8.	Korea	15
9.	Phillippines	29·6
10.	Romania	10
11.	Singapore	54·3
12.	Taiwan	23·5
13.	Thailand	20·3
14.	U.S.S.R.	194·6
15.	Venezuela	20·7
		698·9

Figures rounded upto nearest hundred.

Decentralisation of Telephones and Telegraphs Department

10107. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to decentralise the working of the Telephones and Telegraphs Department in order to improve its working in the country;

(b) if so, the main features of the new set up envisaged; and

(c) the present progress on it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) to (c). The telecommunication services in the country are being run by independent field units under the control of P & T Board. Decentralisation by way of delegation of more powers to the field units is a continuing process Proposals to delegate higher administartive and financial powers to the field units are under consideration. These would enable the field units to take independent decisions to a greater extent.

Discussions held with Syrian President

10108. SHRI SUKHDEV PRASAD VERMA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) what has been the outcome of talks with the visiting Syrian President;

(b) whether the relation between Israel and Syria were also discussed; and

(c) if so, the facts thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a). to (c). The exchange of views between the President of the Syrian Arab Republic and our Prime Minister covered bilateral relations and international problems and proved to be extremely fruitful. Indo-Syrian agreement on trade was signed during Syrian President's visit. India has agreed to provide professional and technical personnel and implement plans for the development of trade and cooperation in the fields of phosphate mining, railways, textile industries, construction of Industrial estates, housing complexes, and industrial joint ventures.

In their discussions on West Asia, both sides underlined that a just and durable peace could be achieved only on the basis of Israel's withdrawal from Arab territories occupied since 1967 and the restoration of the inalienable rights of the Palestinian Arab people.

राज्यों में पुरुषों और महिलाओं के लिए मजदूरी में असमानता

10109. श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्य सरकारों को विभागों ने पुरुष और महिला मजदूरों के लिए अलग-अलग मजदूरी निर्धारित की है जो समानता के अधिकार के विरुद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो उन विभागों के राज्यवार नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार पुरुष और महिला मजदूरों की मजदूरी में समानता लाने के लिए कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है ; और

(घ) क्या इस समस्या के अध्ययन के लिए कोई समिति गठित करने का विचार है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग). समान पारिश्रमिक अध्यादेश, 1975, जो कि समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, लागू करने से पहले, कुछ राज्य सरकारों ने कुछ नियोजनों में पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए भिन्न-भिन्न मजदूरी दरें निर्धारित कीं। समान पारिश्रमिक अधिनियम के पारित होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित नियोजनों के बारे में उसी कार्य या समान कार्य करने वाले पुरुष और महिला श्रमिकों को समान मजदूरी का भुगतान किया जाता है ; और किसी कानून, पंचाट, करार या सेवा संविदा में निहित कोई धारा जो कि अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल है, लागू नहीं होगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

असंगठित क्षेत्रों में बच्चों को काम पर लगाने पर प्रतिबन्ध

10110. **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि विभिन्न फर्मों और असंगठित औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाने पर रोक लगाने का कोई कानून बनाया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार 15 वर्ष से कम की आयु वाले बाल-श्रमिकों की संख्या 107·4 लाख थी।

(ख) और (ग). बच्चों का नियोजन निम्नलिखित विभिन्न अधिनियमों के अधीन विनियमित या प्रतिषिद्ध किया जाता है :—

अधिनियम का नाम	निम्नलिखित वर्षों से कम आयु वाले बाल-श्रमिक के नियोजन को लागू होता है
1. बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम, 1933 . . .	15 वर्ष
2. बालक नियोजन अधिनियम, 1938	15 वर्ष
3. कारखाना अधिनियम, 1948	14 वर्ष
4. बागान श्रमिक अधिनियम, 1951	12 वर्ष
5. खान अधिनियम, 1952	15 वर्ष
6. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	15 वर्ष
7. भारतीय व्यापार जहाजरानी अधिनियम, 1958 . . .	15 वर्ष
8. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 . .	14 वर्ष
9. शिक्षु अधिनियम, 1961	14 वर्ष
10. दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम	विभिन्न राज्यों में 12 से 14 वर्ष
11. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (विकिरण संरक्षण नियम, 1971) . .	18 वर्ष (ऐसे मामलों को छोड़कर जहां सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमति दी गई हो)।